(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(14)

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निग0 1500–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–3–13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 17/निगरानी/2012–13.

यादवेन्द्र सिंह आ. श्री भगवानसिंह
निवासी ग्राम कबूलपुर तहसील गंजबासौदा
जिला विदिशा म.प्र.

—— आवेदक

विरूद्ध

रामप्यारीबाई पत्नी श्री सौदानसिंह
निवासी ग्राम भाटनी तहसील गंजबासौदा
जिला विदिशा म.प्र.

—— अनावेदक

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री युजफ्फ खान, अधिवक्ता अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/17 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 17/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14–3–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–11 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समयावधि बाह्य थी उनके द्वारा समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर विधिवत विचार किए बिना अनावेदक द्वारा प्रस्तुत

धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में त्रुटि की है जबकि अनावेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई वैधानिक समुचित आधार आवेदन में नहीं दिए हैं ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय में बटवारे की कार्यवाही आपसी सहमति के आधार हुई थी, जिसके तहत अपील का कोई प्रावधान नहीं है । इस तथ्य को भी अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है । अपर कलेक्टर द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा कर निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए हैं कि नामांतरण पंजी पर कार्यवाही विधि विरूद्ध तरीके से की गई है जिसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं थी जानकारी दिनांक से अपील एस.डी.ओ. के समक्ष की गई जिसे समयसीमा में मान्य करने में एस.डी.ओ. ने कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही कोई अवैधता अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश को स्थिर रखने में की गई है ।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामांतरण पंजी पर आवेदिका का अंगूठा होना दर्शाया गया है । इस विषय का पूर्ण विश्लेषण अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 14–3–123 में किया है जो पूरी तरह अभिलेख पर आधारित है । अपर कलेक्टर ने निगरानी में जो विश्लेषण किया है उससे निश्चित रूप से रामप्यारीबाई को समय सीमा का लाभ देने में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17–10–11 में कोई त्रुटि नहीं की है । आवेदक ने इस निगरानी में जो भी बिंदु उठाये हैं, अपर कलेक्टर द्वारा किए गए विश्लेषण के प्रकाश मे उन बिदुओं का कोई महत्व नहीं है । जबकि रामप्यारीबाई की उपस्थिति में तहसील आदेश होना ही संदेहास्पद है । अतः ऐसे आदेश को सहमति का आदेश नहीं माना जा सकता ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह दूसरी निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर